अनुबंध

'व्याख्यात्मक टिप्पणियां'

- कपंनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI में संशोधन के परिणामस्वरूप कंपनियों के तुलन पत्रों एवं लाभ और हानि विवरणों में प्रस्तुतीकरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 से काफी परिवर्तन आए हैं। 3 वर्षों (अर्थात 2010-11, 2011-12 और 2012-13) के लिए पुनरीक्षित प्रपत्र में आंकड़े उपलब्ध होने के साथ, अनुसूची VI की पुनरीक्षा और आंकड़ों के मदों की उपलब्धता के अनुसार विविध विवरणों में परिणामों की प्रस्तुति में भी संशोधन हुए हैं।
- तदनुसार, कई चर वस्तुओं जैसेकि ऋण, चालू आस्तियां, अल्पकालिक बैंक उधार आदि में पहले[1] के स्थान पर परिकलनात्मक बदलाव हुए हैं और पहले के वर्षों (2010-11 और 2011-12) के लिए दिए गए इन विवरणों में प्रस्तुत दरों और अनुपातों में तथा पहले के वर्षों के अध्ययनों में प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
- "छूट और कटौती" और "उत्पाद शुल्क और उपकर" की निवल राशि बिक्री की राशि है।
- कच्चा माल, घटक आदि उपभुक्त में व्यापरी कंपनियों के मामले में लेनदेन की गई वस्तुओं की खरीद और गोदामों की खपत और सुविधा संबंधी प्रावधान और आहार सेवा संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं।
- कर्मचारियों को पारिश्रमिक में (क) वेतन, मजदूरी और बोनस (ख) भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान और (ग) कर्मचारी कल्याणकारी व्यय सम्मिलित है।
- 'अन्य निर्माण व्ययों' में निर्माणकर्ता कंपनियों के निर्माण संबंधी व्यय, नौवहन कंपनियों के परिचालन संबंधी व्यय आदि सम्मिलित है।
- परिचालन संबंधी व्ययों में (i) अवमूल्यन प्रावधान और (ii) ब्याज संबंधी व्यय को छोड़कर अन्य सभी व्यय सम्मिलित है।
- मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व अर्जन उत्पादन के मूल्य और परिचालन संबंधी व्ययों के बीच का अंतर है। ब्याज और कर-पूर्व अर्जन का परिकलन मूल्यह्रास, ब्याज और कर-पूर्व अर्जन में अन्य आय मिलाकर और "अवमूल्यन प्रावधान" घटाकर किया जाता है।
- गैर-परिचालनात्मक अधिशेष/घाटे के घटक हैं (क) (i) अचल आस्तियों, निवेशों आदि की बिक्री, (ii) विदेशी मुद्राओं के पुनर्मूल्यन/अवमूल्यन के कारण लाभ/हानि (ख) अनावश्यक प्रावधानों के पुनरांकन (ग) प्राप्त किए गए सीमा संबंधी दावे (घ) पहले के वर्षों से संबंधित आय अथवा व्यय और इस प्रकार के गैर-चालू प्रकार के अन्य मद (च) अपवादात्मक मद (छ) असाधारण मद और (ज) परिचालन स्थगन से आय।
- सकल बचत का मूल्यांकन प्रतिधारित लाभ में अवमूल्यन प्रावधान को जोड़कर किया जाता है।
- सकल वर्धित मूल्य में (क) निवल वर्धित मूल्य और (ख) अवमूल्यन प्रावधान को जोड़ा जाता है।
- निवल वर्धित मूल्य में (क) वेतन, मजदूरी और बोनस (ख) भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान (ग) कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी व्यय (घ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक (च) प्रदत्त किराया, प्राप्त किराए की निवल राशि (छ) प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज का निवल (ज) कर प्रावधान (झ) प्रदत्त और प्राप्त डिविडंड का निवल और (ट) गैर-परिचालक अधिशेष/घाटे और धारित लाभ का निवल सम्मिलित है।
- इक्विटी अथवा निवल संपत्ति में (क)चुकता पूंजी (ख) जब्त शेयर और (ग)प्रारक्षित निधि और अधि शेष (घ) शेयर वारंट से प्राप्त राशि और (च) आबंटन के लिए शेष शेयर आवेदनों की राशि सम्मिलित है।
- पूंजी प्रारक्षित निधि में निवेश और अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ सम्मिलित है।
- अन्य प्रारक्षित निधि में विविध विशिष्ट प्रारक्षित निधियों के रूप में धारित लाभ और तूलन पत्र में ले जाए गए लाभ/हानि सम्मिलित है।
- डिबेंचरों में वित्तीय संस्थाओं में निजी रूप से रखे गए डिबेंचर सम्मिलित है।
- ऋण में सभी स्रोतों जिनमें शामिल डिबेंचर/बाण्ड, आस्थगित भुगतान देयताएं और जमाराशियों से प्राप्त दीर्घ कालिक उधार (दोनों रक्षित और अरक्षित) सम्मिलित हैं। अनुसूची VI की पुनरीक्षा के पहले ऋण में (i) सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं ,बैंकों से अन्य वित्तीय संस्थाओं और विदेशी संस्थागत एजेंसियों से उधार (ii) बंधक और बैंकों, कंपनियों और अन्यों से अन्य दीर्घकालिक प्रतभूितियों पर उधार और (iii) डिबेंचरों, आस्थगित भुगतान देयताओं और सार्वजनिक जमाराशियां सम्मिलित थीं ।

[1] कृपया संबंधित चर-वस्तुओं की पूर्व में दी गई परिभाषाओं के लिए पूर्व के अध्ययनों के साथ प्रकाशित अनुलग्नक का संदर्भ लें।

- चालू आस्तियां और चालू देयताएं पुनरीक्षित अनुसूची VI में यथानिर्धारित चालू अनुपात (चालू आस्तियां से चालू देयताएं) के परिकलन के लिए चालू आस्तियों से चालू निवेश का अनुद्धरित अंश निकाल दिया जाता है। अनुसूची VI की पुनरीक्षा के पहले चालू आस्तियों में (i) ऋण और अग्रिमों और अन्य देनदारी शेषराशियां, (ii) निवेश, (iii) अलग प्रकटीकरण की अनुपलब्धता के कारण कर प्रावधान के अतिरिक्त अग्रिम आय कर यदि कोई हो, का गैर-चालू अंश सम्मिलित रहता था। उसी प्रकार चालू देयताओं में (i) व्यापारिक उधार, (ii) अग्रिम आय कर के अतिरिक्त कर प्रावधान, यदि कोई हो, और (iii) अन्य प्रावधानों का गैर-चालू अंश सम्मिलित रहता था।
- शीघ्र विक्रेय आस्तियों में (क) चालू आस्तियों के अंतर्गत व्यापारिक प्राप्य राशियां (ख) उद्धृत चालू निवेशों का बही-मूल्य और (ग) नकद और बैंक शेषराशियां सम्मिलित हैं।
- आंतरिक स्रोत: ये कंपनियों के खुद के स्रोत रहते हैं जिनमें वर्तमान शेयरधारकों से चुकता पूंजी (जैसेकि बोनस शेयर का निर्गम), विविध प्रारक्षित निधियां, धारित लाभ, अवमूल्यन प्रावधान और अन्य प्रावधान सम्मिलित हैं।
- बाहरी स्रोत: ये कंपनियों के खुद के स्रोत से अन्य स्रोत हैं जिनमें पूंजी बाज़ारों से ली गई निधियां , उधार निधियां, व्यापारिक देयताएं, औा अन्य गैर-चालू और चालू देयताएं सम्मिलित है।
- सभी मदों के वृद्धि दर और स्रोतों और निधियों के प्रयोग संबंधी आंकडे पुनर्मूल्यांकन आदि के लिए आवश्यकता के अनुसार समायोजित किए गए हैं।
- आंकडों के पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड और कुल योग में अंतर आ सकता है।

उद्योग स्पष्टीकरण

निर्माण : राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) के अनुसार निर्माण गतिविधियों में सामान्य बिल्डरों द्वारा संविदाकृत निर्माण, सिविल अभियांत्रिकी संविदाएं और विशेष व्यापार संविदाकार सम्मिलित हैं। भारत में अलग आंकडों की अनुपलब्धता के कारण इन संविदात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त अनुमानित घरेलु उत्पाद के लिए निजी खाते की निर्माण गतिविधियां भी सम्मिलित हैं। इस तरह से निर्माण उद्योग में साइट तैयार करना, परिवर्तन, वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव(अर्थात रास्ते, पुल, रेल बेड आदि) और, मूलभूत संरचना संबंधी परियोजना, औद्योगिक संयंत्र और भवन आस्थापनाओं और ऐसी सभी गतिविधियों से जुडी कंपनियां सम्मिलित हैं।

स्थावर संपदा : स्थावर संपदा से तात्पर्य है (i) स्थावर संपदा और (ii) स्थावर संपदा संबंधी अन्य सेवाओं का निर्माण करना। इसमें खरीदारी, बिक्री, किराएदारी और खुद की अथवा किराए पर ली गई स्थावर संपदा(अर्थात अपार्टमेंट और आवास का निर्माण, गैर- आवासीय भवनों आदि स्थावर संपदा विकसित करना और उसे प्रभागों में बांटना, जमीन और श्मशान भूमियों का विकास और उनकी बिक्री, एपार्टमेंट होटलों और निवासी मोबाइल आवासीय साइट आदि का परिचालन करना।